

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक—.....

संख्या :- 5 नि.गो.वि. (2) 08/2025—..... श्री भारतेन्दु जयसवाल, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कैमूर के विरुद्ध कैमूर जिला अन्तर्गत मोहनियाँ प्रखंड में अवस्थित जलकर भोखरी ताल एवं तिवारी डिहरिया की बंदोबस्ती श्री अनिल कुमार सिंह एवं श्री रमेश चौधरी के साथ सीमित डाक के माध्यम से दिनांक 13.09.2024 को किये गये बंदोबस्ती से संबंधित परवाना को दिनांक 18.09.2024 को निर्गत करने के पश्चात कुल 68 दिन विलम्ब से दिनांक 25.11.2024 को परवाना बंदोबस्तदार को हस्तगत कराये जाने के कारण बंदोबस्तदार द्वारा मत्स्य पालन में उत्पन्न हुई बाधा और नुकसान के भरपाई हेतु माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या 1830/2025 दायर किया गया। इस प्रकार श्री जयसवाल के द्वारा कर्त्तव्य के प्रति बरती गयी लापरवाही के कारण मामला न्यायालय के अधीन हुआ एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई।

उक्त आरोप के लिए श्री जयसवाल के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 397 नि.गो., दिनांक 18.09.2025 द्वारा उनसे बचाव-बयान की मांग की गयी। श्री जयसवाल से प्राप्त बचाव-बयान को समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा विभागीय अधिसूचना झापांक 95 नि.गो., दिनांक 26.02.2026 द्वारा श्री भारतेन्दु जयसवाल, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कैमूर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत आरोप वर्ष 2024-25 के लिए निंदन की शास्ति अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दंडादेश के विरुद्ध श्री जयसवाल के द्वारा पत्रांक 521, दिनांक 25.03.2026 से पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त पुनर्विचार अभ्यावेदन में श्री जयसवाल के द्वारा अंकित किया गया कि डाक की सूचना जब निकाली जाती है तब उसमें बन्दोबस्ती वर्ष एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। डाक की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्य श्री अनील कुमार सिंह एवं श्री रमेश चौधरी बन्दोबस्ती वर्ष एवं अवधि के बारे में भली-भाँति जानते थे। बंदोबस्तदार के द्वारा सिमित डाक से बन्दोबस्ती लेने हेतु जो बीड- सीट कार्यालय के द्वारा भरा गया है, उसमें भी बन्दोबस्ती अवधि का उल्लेख है और उस बीड- सीट पर उनका हस्ताक्षर भी है और अवधि के लिए उनके द्वारा कोई आपत्ति भी व्यक्त नहीं की गई है। श्री जयसवाल का यह भी कहना है कि बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 यथा संशोधित 2007, 2010 एवं 2018 के आलोक में डाक/बन्दोबस्ती की प्रक्रिया जब भी प्रारम्भ की जाती है उसमें बन्दोबस्ती अवधि 01 जुलाई से 30 जून तक ही अंकित किया जाता है ताकि सरकारी राजस्व का नुकसान नहीं हो। इसकी पुष्टि किसी और जिले से भी कराये जाने का उल्लेख श्री जयसवाल के द्वारा किया गया है। मत्स्य पालक को वित्तीय हानि होने के संबंध में श्री जयसवाल का कहना है कि मत्स्य पालक को किसी भी तरह की हानि नहीं हुई है। उनका कहना है कि विगत 2 वर्षों से उक्त दोनों जलकर बन्दोबस्तदार के कब्जे में है। जलकर पर किसी तरह की रोक कार्यालय के द्वारा नहीं लगाई है। जलकरों का पूर्ण उपभोग बन्दोबस्तदार के द्वारा किया गया है। उक्त जलकरों के दो वर्षों के बन्दोबस्ती की सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली गई है। किसी भी तरह के सरकारी राजस्व का नुकसान भी नहीं हुआ है।

श्री जयसवाल से प्राप्त उक्त पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत श्री जयसवाल को आरोप वर्ष 2024-25 के लिए अधिरोपित निंदन की शास्ति से मुक्त करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार के द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री भारतेन्दु जयसवाल, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कैमूर को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 95 नि.गो., दिनांक 26.02.2026 द्वारा अधिरोपित आरोप वर्ष 2024-25 के लिए निंदन की शास्ति से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 5 नि.गो.वि. (2) 08/2025-/ पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 5 नि.गो.वि. (2) 08/2025-/ पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 5 नि.गो.वि. (2) 08/2025- 466 नि.गो.वि. / पटना-15, दिनांक- 15/9/2026

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य/उप मत्स्य निदेशक, पटना परिक्षेत्र, पटना/श्री भारतेन्दु जयसवाल, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कैमूर/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 2/विभागीय आई.टी. प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं कोषागार पदाधिकारी, पटना को मेल करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.9.26

सरकार के संयुक्त सचिव।

47